

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल , कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

### सीमा-पिलरों पर होने वाले व्यय को वहन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग का विस्तार स्वीकृत है। यह मोटर मार्ग गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के कि०मी० 24.500 से प्रारम्भ होकर 27.500 कि०मी० में धनपुर ग्राम तक निर्माण हेतु सीमा-पिलरों पर व्यय होने वाली धनराशि वन विभाग द्वारा मांगी जायेगी, उसको प्रस्तावक विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर